कार्यालय नियत प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, अमरोहा।

विकास अनुज्ञा पत्र

पत्रांक-1429 आर.ए.सी./वि.क्षे./2020-21 दिनांक- 16 नवम्बर 2021

श्री पारस डेवलपर्स, तहसील व जनपद अमरोहा द्वारा पार्टनर्स

1. श्री राम नवल सिंह पुत्र स्व0 लल्लू सिंह, 3/176, विनय खण्ड गोमती नगर लखनऊ,
2. श्री अजय विक्रम सिंह पुत्र श्री रामनवल सिंह, ए-400, सेक्टर 19, गौतम बुद्व नगर,
3. श्री योगेश कुमार जैन पुत्र श्री मुकुट बिहारी जैन, निवासी बाजार जटट, अमरोहा,
4. श्रीमती निरुपमा जैन पत्नी श्री योगेश जैन निवासी बाजार जटट, अमरोहा,
5. श्री यश जैन पुत्र श्री योगेश जैन नवासी बाजार जटट, अमरोहा,
6. श्रीमती भावना जैन पत्नी श्री संजय कुमार जैन, 372 कानूनगो अपार्टनेन्ट, 71 आई0 पी0 एक्सटैंसन, पटपड़ गंज, शकूरपुर ईस्ट, दिल्ली,

महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत भू-विन्यास मानचित्र, विकास स्थल खसरा सं0 229मि/2, 229/3, 231/1 अमरोहा खास, बाहर चुगीं, तहसील व जनपद अमरोहा पर स्थित 30440.00 वर्ग मीटर भूमि के क्षेत्रफल पर 1605.47 वर्गमीटर रोड़ वाईडेनिंग के पश्चात् 28834.53 वर्ग मीटर नेट क्षेत्रफल पर प्रस्तावित आवासीय उपविभाजन/विन्यास मानचित्र सं0 158/2021 के सन्दर्भ में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27/09/2021 के साथ संलग्न संशोधित विन्यास मानचित्र, जिस पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, टी.सी.जी./1-वी./5, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का अनापत्ति प्रमाण पत्र पत्रांक 1107/व.नि.(4)/अमरोहा/2021-22, दिनांक 18/10/2021 के सन्दर्भ में आर0बी0ओ0 एक्ट 1958 के अन्तर्गत निम्नांकित शर्तों के साथ विकास करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

1. प्रस्तावित भूमि के विकास हेतु दी गई अनुज्ञा स्वीकृत के दिनांक से पॉच वर्ष तक के लिए वैध मानी जायेगी तथा समस्त विकास कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराना होगा।

2. प्रस्तावित स्थल का समस्त वाहय एवं आन्तरिक विकास यथा सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, खडन्जा लगाना, नालियों, जलापूर्ति, गटर एवं मल निकास की व्यवस्था, विद्युतीकरण व प्रकाश की व्यवस्था एवं पार्कों का निर्माण, वृक्षारोपण एवं स्वच्छता सम्बंधी कार्य आदि सभी आवासीय आवश्यकताओं हेतू मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्यों को अनुबन्ध पत्र 30.10.2021 एवं उत्तर प्रदेश, निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासनादेशों के अनुसार आपको स्वयं अपने व्यय पर निर्धारित अवधि में कराने होंगे।

3. ग्राउन्ड वाटर की रिचार्जिंग हेतु कच्चे अथवा परफोरेटेड सामग्री से निर्मित पाथ - वे का प्राविधान एवं ग्राउन्ड वाटर के संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

4. स्ट्रीट लाइट के रूप में एल.ई.डी. लाईट का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है, विकास कार्य करते समय पर्यावरण में अनावश्यक धूल नहीं होने देने का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

5. समस्त विकास के दौरान उप-विभाजन मानचित्र सदैव स्थल पर रखा जायेगा, किसी भी समय निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता को उप्लब्ध कराना होगा।

6. विकास कार्य आरम्भ करने व समाप्त होने की सूचना नियमानुसार निर्धारित प्रपत्रों पर कार्यालय विनियमित क्षेत्र अमरोहा को दी जायेगी तथा अवधि में पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

Av

7 स्वीकृत उप–विभाजन मानचित्र के अनुसार यदि विकास कार्य के दौरान कोई भी परिवर्तन किया जायेगा तो नियमानुसार परिवर्तन करने से पूर्व सूचना इस विभाग को दी जायेगी तथा पूर्वानुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कोई परिवर्तन किया जायेगा।

8. किसी भी प्रकार के भू–स्वामित्व विवाद के लिए पूर्णतः आपका उत्तारदायित्व होगा।

9. विकास के निर्माण कार्य हेतु श्रम विभाग नियमों का अनुपालन किया जाना तथा उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ में परियोजना का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। यदि विकास कार्य के दौरान इस कार्यालय द्वारा आवश्यक होने पर कोई अन्य शर्तें लागू की जाती हैं तो वह मान्य होगीं।

10. प्रासंगिक पत्रावली पर संलग्न आपके अनुबन्ध पत्र के पेज संख्या 02 के अनुसार भू–खण्ड स0 25 से 29, 43 व 44, 69 एवं 142 से 150 के कुल क्षेत्रफल 1713.54 वर्ग मी0 को समस्त आन्तरिक एवं वाहय विकास कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

11. प्रत्येक भूखण्ड पर विला (भवन) निर्माण करने से पूर्व भूविन्यास मानचित्र में प्रस्तावित यूनिट के अनुसार निर्माण की अनुमति के लिय विकासकर्ता फ़र्म द्वारा पृथक से इस कार्यालय से नियमानुसार भवन मानचित्र स्वीकृत कराना होगा।

12. इस भू–विन्यास मानचित्र कुल 166 आवासीय इकाइयों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। अतः विकास कर्ता श्री पारस डेवलपर्स द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने के उददेश्य से प्रत्येक यूनिट के विक्रय पत्र में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा कि उसमें कोई परिवर्तन/परिवर्धन अनुमन्य नहीं होगा।

संलग्नक :–स्वीकृत विन्यास मानचित्र (ले–आउट) की एक प्रति।

स्वीकृत दिनांक–15 नवम्बर 2021

15/11/2021

नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी

कार्यालय नियत प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र–अमरोहा

विनियमित क्षेत्र– अमरोहा।